निर्णय ब–इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 05/2025 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये देवेन्द्र आसेरी, प्रवर्तन निरीक्षक चाकसू, कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय।

प्रार्थी

बनाम

हनुमान सहाय पुत्र ग्यारसी लाल शर्मा, गणेश मिष्ठान भण्डार, सब्जी मण्डी रोड, चाकसू, जिला जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. मय एल.पी.जी. 200 ग्राम को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 10.07.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय से प्राप्त निर्देश की पालना में घरेलू गैस सिलण्डरों से दुरुपयोग की सूचना प्राप्त होने पर बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के साथ दिनांक 20.10.2022 को गणेश मिष्ठान भण्डार, सब्जी मण्डी रोड, चाकसू, जिला जयपुर की जांच की गई। परिसर की जांच करने पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर भट्टी से जुडा पाया गया। जिस पर मिठाई बनाने का कार्य किया जा रहा था, जिसको मौके पर जब्त किया गया है। अतः राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर, एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील विस्फोटक एव जनहित की वस्तु होने से धारा–6–ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 04.11.2022 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवायें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री रामावतार प्रजापत ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। आगामी पेशी पर अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली में बहस एक पक्षीय पैरोकार रसद सुनी गई।
3. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि गणेश मिष्ठान भण्डार, सब्जी मण्डी रोड, चाकसू, जिला जयपुर की जांच श्री हनुमान सहाय पुत्र ग्यारसी लाल शर्मा की उपस्थित में की गई। परिसर की जांच करने पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर भट्टी से जुडा पाया गया। जिस पर मिठाई बनाने का कार्य किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा था। मौके पर मैसर्स ओसवाल गैस सर्विस जयपुर के प्रतिनिधि श्री अभिषेक ओसवाल पुत्र श्री भागचन्द ओसवाल को बुलाकर घरेलू गैस सिलेण्डर का तौल करवाया गया। तौल कराने पर गैस सिलेण्डर में कुल 200 ग्राम एल.पी.जी.

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

पाई गई। मौके पर अप्रार्थी द्वारा इस बाबत न तो कोई वैद्य दस्तावेज पेश किया गया और न ही अवैध भण्डारण के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा सामग्री को राजसात (Confiscate) करने के आदेश फरमावे।

4. विभागीय पैराकार रसद को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 20.10.2022 को भंलीभांती अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

5. अप्रार्थी ने जब्त किये गये सिलेण्डर्स के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये । दौराने जांच मौके पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. मय एल.पी.जी. 200 ग्राम पाया गया। घरेलू एल.पी.जी. कम कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है। जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा उक्त धरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रूप से ग्राहको के लिये मिठाई बनाकर व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा था। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैध मुनाफा की आपराधिक मनःस्थिति एवं बदनियती स्पष्ट जाहिर होती है। इसलिए जब्त सिलेण्डर मय एल.पी.जी. को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 01 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. मय 200 ग्राम एल पी जी को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है।

7. जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दिनांक 04.11.2025 को अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश दिये गये है। तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष जमा कराना सुनिश्चित करें।

8. निर्णय प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

9. निर्णय आज दिनांक 10.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

जिला कलक्टर, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner